रजिस्ट्रीसं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 15, 1973/वैशाख 25, 1895
No. 120] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 15, 1973/VAISAKHA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
NOTIFICATIONS
CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th May 1973

G. S. R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 49 and rule 139 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 129/72-Central Excises, dated the 6th May, 1972.

[No. 123/73-CE]

SURJIT SINGH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)
अधिसूचनाएं
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 मई, 1973

सा०का०नि० 275(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 49 के उपनियम (2) और नियम 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 129/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 मई, 1972 को विखण्डित करती है।

[सं० 123/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क]

सुरजीत सिंह, अवर सचिव।

(Department of Revenue & Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 9th May 1973

G. S. R. 276 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 152/72-Central Excises, dated the 8th June, 1972.

[No. 124/73-C. E.]
K. VISWANATHAN, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 मई, 1973

सा० का० नि० 276(अ).—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शल्क और सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 152/72 केन्द्रीय उत्पाद-शल्क, तारीख 8 जून, 1972 को विखण्डित करती है।

[सं० 124/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क]
के० विश्वनाथन, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973